Downloaded from SkillCouncils.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Phone No. 07856-252364 Email: deo.officedantewada@gmail.com

क्रमांक/..215../जि.शि.अ./निविदा/2025-26 दन्तेवाड़ा, दिनांक 07../07/2025

द्वितीय "रूचि की अभिव्यक्ति"

जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा संचालित "छू लो आसमान" कन्या/बालक आवासीय परिसर कारली एवं बालूद में संस्था में "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत् राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए परिणामोन्मुखी अध्यापन सह कोचिंग कार्य कराये जाने हेतु दर प्रस्तुत करने मोहरबंद द्वितीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तो की जानकारी जिले के वेबसाइट **www.dantewada.nic.in** में अपलोड कर दी गई है, प्रकाशित निविदा को जिले के वेबसाइड **www.dantewada.nic.in** से डाउनलोड किया जा कर इच्छूक प्रतिभागी आवश्यक दस्तावेज सहित रजिस्ट्री डाक, स्पीड पोस्ट एवं कोरियर के माध्यम से तथा संस्था/फर्म के द्वारा द्वितीय निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व समय 3.00 बजे तक जमा किया जा सकता है।

01/ द्वितीय निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 21/07/2025 समय अपरांह 1.00 बजे
02/ द्वितीय निविदा खोलने की अंतिम तिथि - 21/07/2025 समय अपरांह 3.00 बजे

जिला शिक्षा अधिकारी
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Downloaded from SkillCouncils.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा

Phone-No. 07856-252364 Email:deo.officedantewada@gmail.com

क्रमांक / 215 / जि.शि.अ. / EOI / 2025–26 दंतेवाड़ा, दिनांक 07 / 07 / 2025

—: द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति :—

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) मे जिला प्रशासन द्वारा संचालित "छू लो आसमान" संस्था मे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए परिणामोन्मुखी अध्यापन सह कोचिंग उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। कोचिंग के लिए रूचि की अभिव्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु राज्य में संचालित कोचिंग संस्थाओं में से इच्छुक संस्थाओं से द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तो की जानकारी जिले के वेबसाइड **www.dantewada.nic.in** में अपलोड कर दी गई है, जारी निविदा दस्तावेज जिले के वेबसाइड **www.dantewada.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छूक प्रतिभागी आवश्यक दस्तावेज सहित रजिस्ट्री डाक, स्पीड पोस्ट एवं कोरियर तथा संस्था / फर्मो के द्वारा भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व समय 1.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय पर प्राप्त निविदा को समिति के समक्ष दिनांक 21.07.2025 अपरान्ह 3.00 बजे खोला जायेगा। विस्तृत जानकारी तथा नियामवली कार्यालयीन समय पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं वेबसाइट **www.dantewada.nic.in** में भी अवलोकन किया जा सकता है।

1.) रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हता का निर्धारण :—

1. संस्था / सोसायटी / कम्पनी / ट्रस्ट / पार्टनशीप फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. संस्था का पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य ।
3. संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र राज्य / राष्ट्रीय स्तर में होना चाहिए, एवं छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य ।
4. संस्था का वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आडिट रिर्पोट होना अनिवार्य ।
5. संस्था का आयकर रिर्टन (ITR) वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का छायाप्रति होना अनिवार्य ।
6. संस्था द्वारा 5.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्रॉफ्ट / एफ.डी.आर. बनाकर आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्रॉफ्ट / एफ.डी.आर. जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा के पक्ष में संलग्न होना चाहिए।

2.) मूल्यांकन :— जिला स्तरीय समिति द्वारा कोचिंग संस्था का गुणवत्ता सह मूल्य आधारित (Quality Cum Cost Based System) के आधार पर विषय विशेषज्ञों की आवश्यकतानुसार परीक्षण और शिक्षकों के मूल्यांकन के अनुसार चयन किया जावेगा।

कोचिंग संस्थान आवेदन में जिन शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाने का दावा करेगा उनके शैक्षिक पृष्ठ भूमि के दस्तावेज के साथ उनका छ.ग. में दंतेवाड़ा जिले में रहते हुए पढ़ाना अनिवार्य होगा जिसमें राज्य स्तर के विषय हेतु राज्य स्तरीय विषय विशेषज्ञ मान्य होंगे। इसके साथ ही कोचिंग संस्था के शिक्षकों का राज्य लोक सेवा आयोग / व्यापम परीक्षा की तैयारी हेतु विषय विशेषज्ञों का मानक स्तर होना चाहिए।

Downloaded from SkillCouncils.com

शिक्षक अनुभव शिक्षकों की गुणवत्ता संस्था का परीक्षा परिणाम, संस्थान से छ.ग. में चयिनत अनुभव अभ्यार्थियों की संख्या कार्य प्रदान करने में महत्तवपूर्ण मापदण्ड के रूप में शामिल होगा।

3.) प्रस्तुतिकरण :– संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष कम से कम 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण देना होगा जिसमें संस्थान की प्राथमिक जानकारी जैसे कि अनुभव, उपलब्धियां, संस्था द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम संस्था में कार्यरत शिक्षकों की कार्य कुशलता संस्था द्वारा विभिन्न शाखाएं संस्था में अध्ययन एवं मूल्यांकन के तरीके एवं दंतेवाड़ा जिले के लिए योजना का सफल क्रियांवयन हेतु रणनीति के संबंध में बताया जाना है।

4.) चयनित कोचिंग संस्था को कार्य आंबटन एवं अनुबंध :– रूचि की अभिव्यक्ति में चयनित कोचिंग संस्था को 01 वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाएगा। अनुबंध अवधि में संस्था का कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले दो बार के लिए नवनीकरण पर विचार किया जा सकेगा। चयनित संस्था अनुबंधित अवधि के बीच कार्य छोड़ने पर सुरक्षा निधि राशि राजसात करते हुये शेष संस्थाओं में से वरियता क्रमानुसार अन्य संस्था को कार्यादेश दिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार चयनित संस्था को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी। 01 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण न करने की दशा में कार्य करने वाली संस्था की अमानत राशि वापस की जाएगी।

5.) रूचि की अभिव्यक्ति आवेदन करने की प्रकिया :–

A- कंडिका (01) में उल्लेखित न्यूनतम अर्हता होने पर खोला जाएगा, अतः इससे संबंधित अभिलेखों तथा सुरक्षानिधि को प्रथम बंद लिफाफे में रखा जावें, जिस पर अनिवार्य अर्हता संबंधी अभिलेख लिखा जाए। इसके परीक्षण उपरान्त पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा।

B- द्वितीय लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव संबंधी अभिलेख जो कंडिका 02 एवं 03 में उल्लेखित है, के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील सहित होना चाहिए इसके परीक्षण उपरांत ही आवेदन पत्र के भाग –03 (वित्तीय प्रस्ताव) उसके अंतर्गत लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) को रखना होगा। तृतीय लिफाफे (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जावेगा।

C- तीनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे के अन्दर रख कर विज्ञापन में दर्शाये गए पते पर जमा करना होगा।

D- सर्व प्रथम सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक– 01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षाण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन समिति द्वार पात्र पाए जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म/कोचिंग संस्थाओं को पृथक से सूचित किया जाएगा।

Downloaded from SkillCouncils.com

E- यदि तकनीकी मूल्यांकन में किसी भी निविदाकर्ता फर्म को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक नहीं दिया गया है तो अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले तीन फर्मों को वित्तीय निविदा के लिए विचार किया जा सकता है। यदि न्यूनतम दो निविदाकर्ता हो तो उन पर विचार किया जा सकता है।

6.) <u>संस्था के चयन हेतु समिति</u> :– निविदा हेतु अन्य मानक तय करने/अधिभार में परिवर्तन के लिए कलेक्टर दंतेवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी होगें। संस्था चयन हेतु समिति निम्नानुसार होगी –

क्रं.	पदनाम	चयन समिति सदस्य
1	कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा नामांकित	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दन्तेवाड़ा	सदस्य
3	संयुक्त कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा	सचिव/सदस्य
5	जिला कोषालय अधिकारी दंतेवाड़ा	सदस्य
6	रोजगार अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	सदस्य

7.) <u>प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका</u> :– प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत दो भाग होगें।

(A) तकनीकी प्रस्ताव और मूल्यांकन

(B) प्रस्तुतीकरण और वित्तीय मूल्यांकन

8.) <u>तकनीकी मूल्यांकन</u> :– कंडिका 1 के अनुसार न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाला फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जावेगा।

(i) कंडिका 2,3,4,5 के तकनीकी प्रस्ताव + मूल्यांकन हेतु – 80 अंक

(ii) वित्तीय मूल्यांकन अधिकतम – 20 अंक

कुल योग – 100 अंक

(i) **<u>पहला भाग</u> :–** इस भाग में 40 अंक निर्धारित है। जिसका मूल्यांकन निम्नालिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा।

क्रं.	पैरामीटर (मापदण्ड)	उच्चतम अंक	रिर्माक
1	EOI में संदर्भित संस्था के प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुभव प्रत्येक वर्ष का अनुभव के लिए 0.5 अंक के मान से अधिकतम 5 अंक	05 अंक	अनुभव संबंधी स्वयं से प्रमाणित होना चाहिए।
2	शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संस्थान का अपना अध्ययन केन्द्र (शाखा) का संचालन का अनुभव प्रत्येक शाखा के लिए 0.5 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक	10 अंक	सी.ए. द्वारा प्रमाणित शाखाओं की सूची
3	संस्था की अपनी ऑलाईन लार्निंग एप व कंटेनट गूगल प्ले स्टोर में जितने स्टार प्राप्त है उतने अंक एकमुश्त दिया जायेगा, उदाहरण के लिए तीन स्टार प्राप्त है तो 3 अंक उसके उपरांत	05 अंक	प्ले स्टोर में डाउनलोड्स की वर्तमान संख्या अपने गूगल प्लेस्टोर कंसोल में एप स्टेटिक्स (App Statistics) से अपने एप के

Downloaded from SkillCouncils.com

	प्रत्येक 2 लाख डाउनलोड के लिए 1 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक		डाउनलोड कर के सी.ए. द्वारा प्रमाणित कर जमा किया जा सकता है।
4	संस्था का टर्न ओवर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम 2 करोड़ टर्न ओवर हेतु 1 अंक एवं इसके उपरांत प्रत्येक 2 करोड़ हेतु 0.5 अंक के मान से अधिकतम 5 अंक	05 अंक	आडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया जायेगा।
5	शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान JEE/NEET प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संस्थान में आफलाइन प्रशिक्षित छात्रों की संख्या (प्रति 1000 संख्या पर 0.5 अंक, अधिकतम 5 अंक)	05 अंक	सी.ए. द्वारा प्रमाणित सूची
6	जेईई 2025 एडवांस परीक्षा में संस्था के आफलाइन कोचिंग के माध्यम से (टेस्ट सीरीज/आनलाईन कोचिंग मान्य नहीं होगा) अध्ययन कर क्वालिफाई कर विद्यार्थीयों की संख्या प्रति 5 विद्यार्थीयों का चयन कर 0.5 अंक, अधिकतम 05 अंक	05 अंक	सी.ए. द्वारा प्रमाणित सूची
7	नीट 2024 परीक्षा में संस्था के आफलाइन कोचिंग के माध्यम से (टेस्ट सीरीज/आनलाईन कोचिंग मान्य नहीं होगा।) अध्ययन कर वर्तमान में एमबीबीएस अध्ययन कर रहे विद्यार्थीयों की संख्या प्रति 5 विद्यार्थीयों का चयन कर 0.5 अंक, अधिकतम 05 अंक	05 अंक	सी.ए. द्वारा प्रमाणित सूची
8	संस्था का अपना स्टेडी मटेरियल एवं नोट्स प्रस्तुति के दौरान 3 सेट उपलब्ध करने पर 5 अंक दंतेवाड़ा जिले में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपयुक्तता के उपर समिति अपने विवेक से 10 अंक प्रस्तुति के बाद देगा।	10 अंक	संस्था द्वारा अपने मटेरियल की काफी समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन के समय प्रस्तुत करेगें।
9	राज्य/राष्ट्रीय स्तर में विभिन्न जिलों में समान कार्य में अनुभव प्रत्येक कार्यादेश/अनुबंध हेतु 1 अंक	10 अंक	कार्यादेश एवं अनुबंध की छायाप्रति
10	शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में संस्था का अपना टेस्ट सीरीज संचालन का अनुभव टेस्ट सीरीज में सम्मिलित 1000 प्रतिभागी के लिए 1 अंक के मान से अधिकतम 05 अंक	05 अंक	सी.ए. द्वारा प्रमाणित
11	योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति के आधार पर समिति के सदस्यों द्वारा दिया जाएगा	15 अंक	
टीप	(दिये गये सरल क्रमांक 1 से 11 तक की सत्यापन हेतु प्रतिभागी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत करने वाली जानकारी बिड में भाग लेने वाले अन्य संस्था एवं जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यदि जानकारी गलत पाये जाने पर निविदा से बाहर कर दिया जावेगा एवं आपके संस्था के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए संस्था को (Black list) काली सूची में रखा जायेगा।)		

(ii) तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण – तकनीकी मूल्यांकन के 80 अंक में न्यूनतम 60 अंक प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा उपरोक्तानुसार संस्थाओं की संख्या 04 से कम होने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

8.2 **<u>वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन</u>** :–

वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन सूत्र पर आधारित होगा :–

वित्तीय मूल्यांकन के अंक = 20xL1/संस्था द्वारा दर्शाया गया मूल्य

Downloaded from SkillCouncils.com

8.3 **प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण :–**

प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण प्रत्येक संस्था का तकनीकी अंक एवं वित्तीय अंक दोनों का योग कर अंकों के घटते क्रम अनुसार कोचिंग संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी अर्थात अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली संस्था का प्रथम स्थान पर चयन हेतु अनुसंशित किया जायेगा। कार्यादेश पश्चात् कार्य न करने पर निविदा में द्वितीय स्थान प्राप्त संस्थान को मौका दिया जायेगा।

9.) **योजना का संचालन :–**

कोचिंग/शिक्षण कार्यक्रम तथा संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन कलेक्टर दंतेवाड़ा के निर्देशानुसार जिले में किया जाएगा। कोचिंग/शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा अन्य नियमों के क्रियान्वयन की दायित्व कलेक्टर दंतेवाड़ा तथा इनके द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा किया जायेगा। अध्ययन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार उपकरण जिले से उपलब्ध कराया जावेगा।

कोचिंग हेतु प्रतिभागियों का चयन टेस्ट और कैरियर काउंसलिंग जिला स्तरीय समिति के निर्देशन पर कोचिंग संस्था के माध्यम से किया जावेगा।

- **प्रतिभागियों के चयन पश्चात** जिला दक्षिण बस्तर दांतेवाद (छत्तीसगढ़) मे जिला प्रशासान द्वारा संचालित छुलों आसमान संस्था मे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी लिए कोचिंग व्यवस्था से किया जावेगा।

10.) **चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :–**

1. चयनित कोचिंग संस्था द्वारा छूलो आसमान के बालक एवं बालिका परिसर में अध्ययनरत् चयनित विद्यार्थियों को **JEE/ NEET/PET/PMT/PAT/PPHT/Foundation course/CUCET** एवं अन्य परीक्षाओं हेतु फार्म भरवाना, कोचिंग प्रदान करना होगा।

छू लो आसमान संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संख्यात्मक विवरण

क्रमांक	कक्षा	बालक परिसर	बालिका परिसर	योग
1	11वीं	80	80	160
2	12वीं	80	80	160
3	ड्रापर	60	60	120
कुल योग –		**220**	**220**	**440**

2. कोचिंग संस्था को अध्यापन के लिए निम्नानुसार सभी विषय विशेषज्ञ रखना होगा।

क्र.	कोर्स का नाम	अध्यापन विषय	छू लो आसमान बालूद	छू लो आसमान कारली	न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता	अभ्यर्थियों को विशेष आर्हता हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
1	JEE/ NEET/PET/PMT /PAT/PPHT/Foundation	Physics	1	1	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 60 प्रतिशत	स्वयं IIT/NEET परीक्षा देने का अनुभव हो एवं IIT/NIT एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से अध्ययन किया
2		chemistry	1	1		
3		biology	1	1		
4		mathamatics	1	1		

Downloaded from SkillCouncils.com

	course/CUCET				प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण।	हुआ एवं कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
5	मूल्यांकन विशेषज्ञ/ डाटा मैनेजर / आपरेशन मैनेजर			1	मूल्यांकन विशेषज्ञ हेतु योग्यता एवं O.M.R. में दक्ष पंजीकृत कोचिंग संस्था में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव	

2. कोचिंग हेतु नियोजित शिक्षक को चयनित संस्था के अतिरिक्त किसी अन्या/कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के पूर्व उन्हें जिला चयन समिति में अनुमति लेना आवश्यक होगा।
3. चयनित शिक्षकों द्वारा प्रभावी/गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर कलेक्टर के निर्देश पर योग्य शिक्षण की पूर्ति 15 दिवस के अन्दर करना उपलब्ध कराना होगा।
4. कोचिंग संस्था को अनुबंधित शर्तो के अधीन कार्य करना होगा।
5. अनुबंध होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन प्रारंभ करना होगा।
6. प्रवेशित छात्र–छात्राओं का अनुबंध अनुसार टेस्ट लेना होगा। एवं सतत् मूल्यांकन भी करना होगा। मूल्यांकन के आधान पर छात्र–छात्राओं के अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। टेस्ट एवं मूल्यांकन हेतु आवश्यक स्टेशनरी संस्था द्वारा ही उपलब्ध कराना होगा।
7. कोचिंग अवधि में परीक्षा पूर्व रेमेडियल क्लासेस (उपचारात्मक शिक्षण) में कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से संस्था में उपस्थित रहेगें।
8. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्थान का समय–समय पर निरीक्षण किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शिक्षक/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
9. अनुबंध होने के तत्काल पश्चात् कोचिंग प्रारंभ कराना होगा तथा अनुबंध के अनुसार समस्त आवश्यक सामग्री समय–समय पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना होगा।
10. संस्था द्वारा JEE/ NEET/PET/PMT/PAT/PPHT/Foundation course/CUCET एवं अन्य परीक्षाओं इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में संबंधित पुस्तकें गुणवत्ता पूर्ण स्टडी मटेरियल, विगत वर्षो के प्रश्न पत्र इत्यादि विद्यार्थियों को उपलब्ध करना होगा तथा आवश्यकतानुसार कोचिंग में प्रयुक्त होने वाली मल्टी मिडिया सुविधा भी उपलब्ध करना होगा।
11. कोचिंग केन्द्र में चयनित/प्रवेश लेने वाले प्रतिभागी आदिवासी अंचल क्षेत्रों से होने के कारण उनके सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षिणिक स्तर अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अतः इनकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट व्यवस्था उपलब्ध कराकर प्रतिभागियों के शैक्षणिक पिछड़ेपन को सुधार कर इन्हें बेहतर स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धारिकम बनाने की जरूरत है।
12. अध्यापन तथा कोचिंग कार्य इस प्रकार कराना होगा ताकि योजना का लक्ष्य परिणामोन्खी (Result Oriented) हो सके। इस हेतु विषय वस्तु के आधारभूत ज्ञान को समझाते हुए

Downloaded from SkillCouncils.com

क्वालिटी टीचिंग (गुणवत्तापूर्ण शिक्षण) प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर विशेष ध्यान देना होगा।

13. चयनित संस्था को दिन में कितने घंटा अध्यापन कार्य करना है, अथवा Doubt Solving सत्र संचालन करना है, यह संस्था के रणनीति पर निर्भर है।
14. संस्था को आवश्यकतानसुार एक कैरियर/काउंसलर/मनौवैज्ञानिक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
15. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये शिक्षकों के मानदेय का नियमानुसार भुगतान कोचिंग संस्था द्वारा नियमित रूप से किया जाकर इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा तथा किसी भी शिकायत होने पर संस्था के विरूद्ध शासकीय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इसलिए भी आवश्यक है कि वेतन के अभाव में शिक्षकों द्वारा सत्र के मध्य में अध्ययन कार्य छोड़ने से छात्रों की हानि न हो।
16. छात्र–छात्राओं का परफोर्मेंश का मूल्यांकन समय–समय पर जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मानिटरिंग समिति द्वारा किया जायेगा, परफोर्मेंश का आधार साप्ताहिक एवं मासिक टेस्ट होगा। जिला प्रशासन आवश्यकतानुसार तृतीय पक्ष के माध्यम से भी छात्र–छात्राओं का परफोर्मेंश का मूल्यांकन जैसे – विषय ज्ञान, बुनियादि समक्ष व लेखन आधार पर किया जायेगा।
17. आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगें।
18. कोविड या अन्य कारण जिसकी वजह से ऑफलाईन कोचिंग संचालन में बाधा आए ऐसी स्थिति में कोचिंग संस्था को ऑनलाईन कोचिंग संचालित करना होगा।

11.) **<u>अनुबंधित कोचिंग संस्था का शुल्क का भुगतान</u> :– <u>राशि का भुगतान</u> :–** चयनित कोचिंग संस्था को अनुबंध के समय 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा उसके बाद शेष स्वीकृति निश्चित राशि का भुगतान प्रत्येक 03 माह के अंतराल में नियमानुसार टैक्स कटौती कर किया जाएगा। अनुबंध अवधि में कुल देय राशि के 70 प्रतिशत का भुगतान अनुबंध अनुसार निर्धारित किश्तों में किया जाएगा जबकि अंतिम 10 प्रतिशत का भुगतान कोचिंग संस्था द्वारा कक्षा पाठ्यक्रम की पूर्णता एवं छात्र–छात्राएं की संतुष्टि एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा किया जावेगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Downloaded from SkillCouncils.com

जिला दक्षिण बस्तर दांतेवाद (छत्तीसगढ़) मे जिला प्रशासान द्वारा संचालित छू लो आसमान संस्था मे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण वर्ष 20.........-.......

आवेदन पत्र

(क्रमांक/.............दंतेवाड़ा, दिनांक ....के संदर्भ में)

भाग–एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्रं.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1.	संस्था/सोसायटी/कम्पनी/ट्रस्ट/पार्टनशीप फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए।	
2.	संस्था का पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न होना अनिवार्य ।	
3.	संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र राज्य/राष्ट्रीय स्तर में होना चाहिए, एवं छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य ।	
4.	संस्था का वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आडिट रिर्पोट होना अनिवार्य ।	
5.	संस्था का आयकर रिर्टन (ITR) वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का छायाप्रति होना अनिवार्य ।	
6.	संस्था द्वारा 5.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्रॉफ्ट/एफ.डी. आर. बनाकर आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्रॉफ्ट/एफ.डी.आर. जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा के पक्ष में संलग्न होना चाहिए।	

संस्था प्रमुख/प्रतिनिधि का
हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

Downloaded from SkillCouncils.com

भाग – दो

(द्वितीय लिफाफा–क्रमांक 01 से 04 तक)

भाग – 2 (01)

(संस्था का सामान्य परिचय–पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम :..
   (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :..
   ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) :..
   (द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम :..
   एंव पता/मोबाईल नंबर :..
2. कोचिंग संस्था किसी समिति/फर्म/कंपनी के अंतर्गत संचालित है :–
   (अ) समिति/फर्म/कंपनी का नाम :..
   (ब) समिति/फर्म/कंपनी के कार्यालय का पूर्ण पता :..
   ....
   (स) दूरभाष (कोड सहित) तथा अधिकृत :..
   मोबाईल नंबर ....
3. (अ) समिति/फर्म/कंपनी किस एक्ट के तहत् :..
   पंजीकृत है ....
   (ब) समिति/फर्म/कंपनी का जीवित पंजीयन :..
   क्रमांक एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति ....
   (स) समिति/फर्म/कंपनी का वैधता/पंजीयन दिनांक :..
   (द) समिति/फर्म/कंपनी के गवर्नमेन्ट बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :....................
   (इ) समिति/फर्म/कंपनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :....................
   (फ) समिति/फर्म/कंपनी गवर्नमेन्ट बॉडी के सदस्यों की :..
   पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षमप्राधिकारी द्वारा प्रमाणित सूची:....................

Dowmloaded from SkillCouncils.com

भाग – 2 (02)

(कोचिंग संस्था के सफलता की जानकारी)

1. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों की उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षो की जानकारी दी जावें।)

क्र.	प्रतियोगी परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या

Downloaded from SkillCouncils.com

भाग – 2 (03)

(योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति)

प्रस्तुतिकरण :– संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष कम से कम 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण देना होगा जिसमें संस्थान की प्राथमिक जानकारी जैसे कि अनुभव, उपलब्धियां, संस्था द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम संस्था में कार्यरत शिक्षकों की कार्य कुशलता संस्था द्वारा विभिन्न शाखाएं संस्था में अध्ययन एवं मूल्यांकन के तरीके एवं दंतेवाड़ा जिले के लिए योजना का सफल क्रियांवयन हेतु रणनीति के संबंध में बताया जाना है। प्रस्तुतिकरण छायाप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा।

क्रं.	वांछनीय जानकारी
1.	प्रस्तावित कोचिंग केन्द्र में कोचिंग/अध्यापन की रणनीति
2.	उत्कृष्ठ शिक्षण सामग्री की 3 प्रति
3.	उत्कृष्ठ शिक्षकों को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना
4.	अभ्यार्थियों के अभ्यास हेतु ऑनलाईन टेस्ट पेपर एवं मूल्यांकन की व्यवस्था।
5.	**राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग** कराने का अनुभव विवरण। कार्यादेश तथा विगत वर्षो में किए गए कार्य की प्रमाणिकता के लिए अनुबंध की छायाप्रति संलग्न करें।

Downloaded from SkillCouncils.com

भाग – 2 (04)

(घोषणा/सहमति पत्र)

संस्था/फर्म/कम्पनी संचालक की घोषणा

मै ....पद .... कोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैने वर्ष .... के लिए प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तो एवं प्रावधानों का अध्ययन कर, समझकर एंव संतुष्ट होकर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ) मे जिला प्रशासान द्वारा संचालित छू लो आसमान संस्था मे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र में भाग –1, भाग –2 (01–04) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न कर विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रृटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा।

कोचिंग संचालन नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक ....

स्थान ....

संस्था प्रमुख/प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर/पद मोहर सहित

Downloaded from SkillCouncils.com

जिला दक्षिण बस्तर दांतेवाद (छत्तीसगढ़) मे जिला प्रशासन द्वारा संचालित छू लों आसमान संस्था मे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करने हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण वर्ष 20.........-.......

(क्रमांक/.............दंतेवाड़ा, दिनांक ....के संदर्भ में)

भाग–तीन (वित्तीय लिफाफा)

क्रं.	कार्य का नाम	कोचिंग के लिए होने वाली कुल राशि (समस्त कर सहित) अंको एवं शब्दो मे पृथक–पृथक दर्शाया जाए
1.	जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ (छत्तीसगढ़) मे जिला प्रशासान द्वारा संचालित छू लो आसमान संस्था मे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की की तैयारी के लिए कोचिंग सह अध्ययन सामग्री, ऑनलाईन/आफलाईन टेस्ट तथा अन्य व्यय सहित, प्रशिक्षण अवधि : 12 माह हेतु	

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है तथा मैं इस दर पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

संस्था प्रमुख/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(पद मुद्रा सहित)

टीप :–

1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए।
2. वित्तीय लिफाफा में दी गयी जो राशि अंकित करनी है वो कोचिंग में होने वाली कुल राशि होगी। प्रति विद्याथी व्यय अंकित नहीं करना है।
3. कोचिंग संबंधी समस्त व्यय जैसे मानदेय भुगतान, शिक्षकों के यात्रा/भोजन एवं आवास, अध्ययन सामग्री, क्लास टेस्ट, ऑनलाईन टेस्ट की व्यवस्था कोचिंग संस्था द्वारा की जाएगी तथा इस पर होने वाला व्यय (समस्त करों सहित) कोचिंग संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
4. निविदा दर में कोई भी काट–छाँट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. संस्था प्रमुख के पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा साथ ही संस्था स्वतः ही चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगी।